

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच।

पत्रांक :- मु0चि0अ0/तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020-21/2414


दिनांक : 09.01.2021

1. समस्त अधीक्षक/प्रमारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र, बहराइच।
2. समस्त शहरी प्रा0/सामु0स्वा0 केन्द्र, बहराइच।

विषय :- 10 जनवरी 2021 से प्रदेश के सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार को मुख्य मंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला प्रांगण को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में।

10 जनवरी 2021 से प्रदेश के सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार को मुख्य मंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना सुनिश्चित है जिसके क्रम में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक- राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020-21/8687 लखनऊ दिनांक 07.01.2021 के क्रम में आरोग्य स्वास्थ्य में प्रांगण को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

उक्त के क्रम में आपको आदेशित किया जाता है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम-2003 सी0ओ0टी0पी0ए0 (कोटपा)-2003 के अन्तर्गत धारा-4 के अनुपालन में मेला क्षेत्र को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाते हुए कार्यक्रम का समुचित प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बहराइच

पत्रांक :- मु0चि0अ0/तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020-21

तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, बहराइच।
2. राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, लखनऊ।
3. जिला नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0, बहराइच।
4. समस्त स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय के साथ निर्देशित किया जाता है कि अपने सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र के आरोग्य मेला क्षेत्र को तम्बाकू मुक्त कराते हुए कार्यक्रम का समुचित प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
5. श्री अरुण मौर्या, अर्बन कोऑर्डिनेटर, एन0एच0एम0 को इस आशय के साथ निर्देशित किया जाता है कि अर्बन प्रा0/सामु0 स्वा0 केन्द्र के आरोग्य स्वास्थ्य मेला प्रांगण को तम्बाकू मुक्त घोषित कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बहराइच